

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..

...

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..  
... ..  
... ..  
... ..

... ..  
...

किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता वीरबलराम पुत्र चुन्नीराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शामिल मिसल किया गया।

जिला  
वादी

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

इसील

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानाबास उत्तरादा के खसरा न0 103/3.7550 .113/4.3500 ,330/8.5060 कुल 16.6280हैक् मे से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा लाखसर के खसरा न0 61/3 की 3.478हैक् , 62/4.6790हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

इसील

श्रीगण

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा वीरबलराम पुत्र चुन्नीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा वीरबलराम पुत्र चुन्नीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

20  
री (

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा वीरबलराम पुत्र चुन्नीराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

उक्री

न0

रोही

प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

। के

के

हेगी

रु

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

क्त

।द्रा

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास उत्तरादा के खसरा न0 103/3.7550 ,113/4.3500 ,330/8.5060 कुल 16.6280हैक् मे से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा लाखसर के खसरा न0 61/3 की 3.478हैक् , 62/4.6790हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

भु0प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दीयों के अनुसार रोही मौजा लाखसर के खाता संख्या 16/11 की कुल 4.6790 हैक् भूमि को छोड़कर वाद भूमि वीरबलराम पुत्र चुन्नीराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा वीरबलराम पुत्र चुन्नीराम के नाम से दर्ज

उपस्थित अधिकारी  
मोहर

है वादी के दादा बीरबलराम पुत्र चुन्नीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से बाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् बाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 स्वयं उपस्थित आकर वादी के बाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि बाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के बाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरणा पर चस्पा होते हैं के आधार पर बाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के बाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर बाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास उत्तरादा के खसरा न0 103/3.7550 ,113/4.3500 ,330/8.5230 कुल 16.6280 हैक् में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा लाखसर के खसरा न0 61/3 की 3.478 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे वय्य बाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
(राजस्व)  
नोहर ( हनुमानगढ )

सत्यमेव जयते

जिला

वादी

हसील

हसील

दीगण

20  
री (

मंतिम

डिक्री

न0

रोही

। के

के

हेगी

रु

क्त

दा

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, कुल 6-7 जाया दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. कृष्णलाल पुत्र आदराम जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

जिला  
वादी

बनाम

1. आदराम पुत्र वीरबलराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
2. देवीलाल पुत्र आदराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
3. ठाकरसिंह पुत्र आदराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
4. कमलादेवी पुत्री आदराम पत्नी देवीलाल जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर हाल निवासी नेठराना तहसील भादरा।
5. गुडडी देवी पुत्री आदराम पत्नी हनुमान जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल नेठराना तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

हसील

हसील

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 314 सन 2020 निर्णय दिनांक- 2/9/2020

दोगण

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटार/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानावास उत्तरादा के खसरा न0 103/3.7550, 118/4.3500, 330/8.5230 कुल 16.6280 हैक् मे से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा लाखासर के खसरा न0 61/3 की 3.478 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 वहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

20  
री (   
अंतिम  
डिक्री  
न0  
रोही  
। के  
के  
इंगी  
रु  
क्त  
द्रा

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

## संशोधित पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, सल 8-7 जाका दिवानी )

म्यावालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अवधान :-

1. कृष्णलाल पुत्र आदराम जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

बादी

बनाम

1. आदराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
2. देवीलाल पुत्र आदराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
3. ठाकरसिंह पुत्र आदराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
4. कमलादेवी पुत्री आदराम पत्नी देवीलाल जाति जाट साकिन लाखासर तहसील नोहर हाल निवासी नेठराना तहसील भादर।
5. गुडडी देवी पुत्री आदराम पत्नी हनुमान जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर हाल नेठराना तहसील भादर।
6. राजस्थान सरकार जारि तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 314 सन 2020 निर्णय दिनांक- 02.09.2020

आज यह प्रार्थना पत्र 151-152 सीपीसी मुद्रा इण्डिया नोहर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता जादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद बादी लिखी किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास उत्तरादा के खसरा नं 103/3.7550, 118/4.3500, 330/8.5230 कुल 16.6280 हेक्टर में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा लाखासर के खसरा नं 61/3 की 3.478 हेक्टर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के बादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जाये। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाये अन्य वाद उभयपक्ष अपना अपना बहन करेगे।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ़ )